

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 52/2019 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 03.09.2019

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर (राज) में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री संदीप चण्डालिया पिता फतहलाल चण्डालिया निवासी 103, सोमानी मौहल्ला कपासन, वार्ड नम्बर 10, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ At also संदीप चण्डालिया कपासन में स्थित सम्पत्ति जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2-श्रीमति प्रतिभा चण्डालिया पत्नि संदीप चण्डालिया निवासी 103, सोमानी मौहल्ला कपासन, वार्ड नम्बर 10, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज)
- 3-श्री कमलेश कुमार तेली पिता बालूराम तेली निवासी 75, ओसवालॉ के नोहरे के सामने, कपासन, वार्ड नम्बर 19 बडे तालाब के पास, उत्तमपुरा राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002


उपस्थिति : 1- श्री किशन सिंह गाडन, अधिवक्ता प्रार्थी



आदेश

दिनांक 21.01.2020

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (134 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उक्त बैंक को अधिसूचना दिनांक 18.09.2017 से बैंक के रूप में सम्मिलित किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 10,50,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।


कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 52/2019 (रि.वि.)
ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड बनाम श्री संदीप चण्डालिया निवासी कपासन वगैरा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 ऋणी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश व्यास ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। दौराने बहस विपक्षी संख्या 1 एवं उनके अधिवक्ता भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

श्री संदीप चण्डालिया पिता फतहलाल चण्डालिया, निवासी 103, सोमानी मौहल्ला कपासन, वार्ड नम्बर 10, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ At also संदीप चण्डालिया कपासन में स्थित सम्पत्ति जिला चित्तौड़गढ़ (राज) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप कुलिया क्षेत्रफल 1683.5 स्कवायर फीट है। चर्तुसीमा:-

पूर्व में :- रोड़

पश्चिम में :- सुरेश कुमार मदनलाल

उत्तर में :- गणपतलाल

दक्षिण में :- लोहारों का मन्दिर

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 08.03.2019 तक राशि रुपये 9,41,693/- रुपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटार्ईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(चेतन वर्मा) 20
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

